बच्चों में कहां से आ रहा गुस्सा

नाबालिग बच्चे द्वारा मासूम का कत्ल कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे खौफनाक अपराध के लिए बहुत हिम्मत और साजिश रचने की जरूरत होती है। यह काम वही कर सकता है जो आचार, व्यवहार में काफी आक्रामक हो या फिर जो मानसिक रूप से दुरुस्त न हो। कुछ बच्चों का शरारती होना स्वभाव में निहित होता है लेकिन बच्चों का दुस्साहसी होना खतरनाक हो जाता है। भारत में अपराध करने वाले किसी किशोर को कानून की नजर में वयस्क माना जाए या नाबालिग, इस पर काफी बहस होती रही है। निर्भया के सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषियों में से सर्वाधिक क्रूरता दिखाने वाला दोषी किशोर ही था। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। वे वही बोलते हैं और वही करते हैं जो वे अपने आसपास बड़ों से सीखते हैं या समाज में होता हुआ देखते हैं। लगातार बढ़ रहे अपराधों की रफ्तार देख कर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। मोटे तौर पर समाज तथा नियमों के खिलाफ कोई काम या गलती करना या कराना कानून की नजर में अपराध माना गया है। खराब माहौल व गलत सोहबत से अपराध बढ़ते हैं। समाज में अपराध की समस्या नई नहीं है। हमेशा से ऐसा होता रहा है। पहले ऊंची जातियों के लोग नीची जाति वालों के साथ अपराध करते थे। सामूहिक अपराध होते थे, लेकिन उन जुल्मों के खिलाफ कोई चूं तक नहीं कर पाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब खिलाफत और मुकाबला करने का दौर है।

इसी खिलाफत का एक उदाहरण हम सभी के सामने है। राजधानी दिल्ली दक्षिण जिले के फतेहपुरबेरी थाना इलाके में साढ़े आठ वर्षीय बच्चे ने डेढ़ वर्षीय मासूम की हत्या कर दी। भाई की पिटाई का बदला लेने के लिए यह वारदात की। मां के पास सो रहे मासूम को उठाकर उसने पानी की हौदी में उसका मुंह डुबो दिया। उसने बच्चे का मुंह हौदी में कई बार डुबोया। इसके बाद शव पास में स्थित नाली में फेंक दिया। बताते हैं कि सोमवार सुबह मांडी गांव से डेढ़ वर्षीय बच्चे आलोक सिंह के गायब होने की सूचना मिली थी। आलोक माता गीता, पिता पप्पू और बड़े बहन-भाई के साथ रहता था। पप्पू इलाके के एक फार्म हाउस में माली है। आलोक रात को घर की छत पर मां व बहन के साथ सोया था। सोमवार तड़के चार बजे गीता की आंख खुली तो बेटे को गायब पाया। आसपास तलाश के बाद सूचना पुलिस को दी गई।

पुलिस को गांव के पास ही सड़क किनारे स्थित गंदे पानी की नाली से सोमवार सुबह सात बजे आलोक का शव मिला। नाली ज्यादा गहरी नहीं थी और न ही उसमें ज्यादा पानी था। आलोक की सीधी आंख, पेट और पैरों में चोटों के निशान थे। कान से खून निकल रहा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रात में ही मांडी गांव से साढ़े आठ वर्षीय बच्चा गायब हो गया था। यह बच्चा आलोक सिंह के घर के पास में परिवार संग किराए पर रहता है। यह बच्चा भी सोमवार सुबह मिल गया। आलोक और उसके गायब होने का समय करीब-करीब एक था और संदेह होने पर पुलिस ने बच्चे को पकड़कर पूछताछ की। उसने आलोक को हौदी में डुबोने की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि कुछ समय पहले आलोक की बहन ने उसके भाई की पिटाई कर दी थी। इससे उसका भाई छत पर गिर गया और उसके सिर में चोट लगने से सूजन आ गई थी। भाई का पिटाई का बदला लेने उसने मासूम आलोक की हत्या कर दी।

> नाबालिग बच्चे द्वारा मासूम का कत्ल कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे खौफनाक अपराध के लिए बहुत हिम्मत और साजिश रचने की जरूरत होती है। यह काम वही कर सकता है जो आचार, व्यवहार में काफी आक्रामक हो या फिर जो मानसिक रूप से दुरुस्त न हो। लेकिन इसे बहाना बनाकर हम बच्चों को गलत रास्ते पर तो नहीं जाने देंगे। दिल्ली में आठ साल के एक बच्चे ने जो कृत्य किया है, क्या उसके लिए सिर्फ वही अकेला जिम्मेदार है, इस पर मंथन करना ही होगा।

अब इस घटना को क्या कहें, एक बच्चे के मन में बैठा अपराधी या समाज में बढ़ती अपराध की भावना। जो भी हो, यह घटना बेहद गलत है और समाज पर ऐसा धब्बा जो आसानी से मिटेगा भी नहीं। बच्चे का जन्म के बाद पहला प्रवेश स्कूल ही होता है, क्योंकि इससे पहले वो घर में ही रहता है और अगर कहीं आता-जाता भी है तो अपने माता-पिता के साथ। इस तरह से देखा जाए तो जन्म से लेकर स्कूल जाने तक वो मां-बाप से ही दुनियादारी, संस्कार और अनुशासन की शिक्षा लेता है। अगर मां-बाप अनुशासन में रहने के आदी हैं तो काफी हद तक बच्चा भी वैसा ही बनेगा। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात ये है कि आजकल के बच्चे ही अपराधी बन रहे हैं। कोई भी मां-बाप अपने बच्चे को अपराधी तो नहीं बनाना चाहते होंगे। कहते हैं कि निम्न वर्ग के बच्चे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो अपराध की तरफ जल्दी कदम रख देते हैं। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि इन बच्चों के मां-बाप मजदूरी करते हैं और वो संस्कार नहीं दे पाते, जिससे बच्चा अपराध की दुनिया में कदम रख देता है। लेकिन हाल ही की कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो तर्क का कुतर्क देखने को मिलता है। मसलन रेयान इंटरनेशनल स्कूल की घटना। प्रद्युमन हत्याकांड की गूंज सभी ने सुनी थी। यहां तो कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते। एक बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। वो भी उसी स्कूल में पढ़ने वाले अन्य छात्र द्वारा, माथा ठनकाने वाली बात यह कि 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने दूसरी कक्षा के छात्र की हत्या कर दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो होने वाली परीक्षा को रद्द करवाना चाहता था। दूसरी घटना को ले लीजिए लखनऊ के एक स्कूल की। यहां 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा पर अपने से छोटे बच्चे को मारने की कोशिश का आरोप है, क्योंकि छुट्टी चाहिए थी। हरियाणा के यमुनानगर में एक 12वीं का छात्र अपने प्रिंसिपल को गोलियों से सिर्फ इसलिए भून देता है, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया था। ये तीनों ही घटनाएं हाई सोसायटी की हैं। वही सोसायटी जहां सुख-सुविधा की हर वो चीज मौजूद है, जिसकी तमन्ना हर बच्चा करता है। आंकड़ों की मानें तो पढ़े-लिखे और अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अब हत्या तथा सामूहिक दुष्कर्म जैसे अपराध कर बैठते हैं।

कुछ दिन पहले ही फेसबुक पर एक वीडियो देखा गया था जिसमें स्कूल के बाथरूम में कुछ किशोर मिलकर एक लड़के को थप्पड़ मार रहे थे। बताया गया था कि उन सबके बीच शर्त लगी थी कि कौन थप्पड़ कितनी तेज मार सकता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिन बच्चों को देखकर दुनियाभर की थकान, परेशानियां, तनाव की छुट्टी हो जाती है, जब वही कटघरे में खड़े हो तो कई सवाल मन में उठते हैं। खेलने-कूदने की उम्र में इतना गुस्सा आखिर बच्चों को क्यों और कैसे आ रहा है। आखिर ऐसा क्या चल रहा होगा कि किसी बच्चे के दिमाग में कि वह चाकू या कोई हथियार उठाकर अपने ही किसी दोस्त या छोटे बच्चे को मारने के लिए टूट पड़े। सवाल यह भी है कि खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को खेलने के लिए मिल क्या रहा है...टीवी, मोबाइल, लैपटॉप। अब बच्चे खेल कूद कहां रहे हैं।

पहले बच्चे माता-पिता के साथ ज्यादा वक्त बिताया करते थे और उनको संस्कार सिखाया जाता था, लेकिन आज के दौर में ये सब गायब होता जा रहा है। आज ज्यादातक बच्चों का झुकाव क्राइम से संबंधित शो की तरफ है। ऐसे में जब बच्चे खून खराबे वाले प्रोग्राम देखते हैं तो नाजुकता खत्म हो जाती है।आज के दौर में मां-बाप पैसे कमाने में इतने व्यस्त हैं कि वो अपने बच्चों को समय ही नहीं दे पाते हैं। अगर यह सब ऐसे ही जारी रहा तो बच्चों को सही रास्ते पर लाना नामुमकिन है।

ज्योति बासू
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

सम्पादकीय

मोदीजी का दूध-भात

उत्तरप्रदेश में सपा नेता आजम खां पर एक बार फिर चुनाव आयोग ने 48 घंटों का प्रतिबंध लगा दिया है। उनके साथ गुजरात भाजपा के अध्यक्ष जीतू वाघानी पर भी आयोग ने सख्ती दिखाई है। आजम खां पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं और इसकी वजह से निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी उठाने वाले आयोग ने उन्हें दंडित किया था। चुनाव आयोग बसपा सुप्रीमो मायावती और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर भी ऐसे ही प्रतिबंध लगा चुका है। इन आम चुनावों की घोषणा के साथ ही देश में 10 मार्च से आचार संहिता लागू है।

यानी राजनैतिक दलों और नेताओं को एक निश्चित दायरे में रहकर काम करने और बयान देने की अनुमति है। अगर वे इसके बाहर जाते हैं तो उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है। खबरों के मुताबिक इस बार आचार संहिता लागू होने के एक महीने के अंदर ही आयोग को इसकी अवहेलना की 40 हजार से ज़्यादा शिकायतें मिलीं जिनमें से ज़्यादातर शिकायतों का निपटारा कर दिया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि वो शिकायतों के बाद आरोपियों को खुद दण्डित करे। आचार संहिता के मामले चुनाव आयोग ही सुनता है, उसकी सुनवाई भी खुद करता है और उसका निपटारा भी खुद करता है। यानि किसी को दण्डित करने या दोषमुक्त करने के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार माना जाएगा। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसका निर्वहन भी निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। ऊपर अलग-अलग दलों के नेताओं का उदाहरण है, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग किसी एक पार्टी का समर्थक नहीं है और पंच परमेश्वर की तरह ही न्याय कर रहा है। चूंकि उसे यह गहन-गंभीर जिम्मेदारी निभानी है, तो वह आनन-फानन में किसी शिकायत पर फैसला भी नहीं ले सकता। भले ही आजम खां या मायावती पर कार्रवाई में उसने वक्त नहीं लगाया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ शिकायत पर तो पूरे एक महीने बाद ही उसने फैसला सुनाया है।

चुनाव आयोग के इस फैसले को क्लीन चिट कहा जा रहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के वर्धा में 1 अप्रैल को मोदीजी ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर कहा था - अब कांग्रेस भी समझ रही है कि देश ने उसे सजा देने का मन बना लिया है। उनके नेता अब मैदान छोड़ कर भागने लगे हैं। आतंकवादी हिंदू की सजा उनको मिल चुकी है और इसलिए भाग कर के जहां देश का बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में है, वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। आचार संहिता कहती है कि कोई भी दल ऐसा काम न करे, जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले। यह निर्देश भी है कि राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे, जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हों।